रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2548] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2548] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर , 2015

का.आ. 3229(अ).--निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद शहर के समीप तेलंगाना के रंगरेड्डी जिले में घनी आबादी और आवासीय सह वाणिज्यिक क्षेत्र में अवस्थित है और 1459 हेक्टेयर के क्षेत्रफल तक विस्तारित है ;

और, राष्ट्रीय उद्यान तेजी से विकसित हो रहे हैदराबाद शहर के लिए एक बृहत कार्बन सिंक का कार्य करता है, दक्षिणी पठार के अत्यंत जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले वनस्पति, जंतु और अद्धितीय शैल निर्माण जिसमें 600 से अधिक पौधों की प्रजाति, 110 पक्षियों की प्रजाति, 20 स्तनपायियों की प्रजाति, 20 सरिसृप और अभेचरों की प्रजाति, कीड़ों और अन्य अकशेरुकीय की प्रजाति सम्मिलित है, का अंतिम अवशेष है;

और, राष्ट्रीय उद्यान भारतीय काले हिरण, चार सींग वाले हिरण, चितेदार हिरण, भारतीय सेही, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय ऊदबिलाव, काला जंगली खरगोश, जंगली शूकर का समुचित आवास है ;

और, इस क्षेत्र प्रारूपिक दक्षिणी पठार वनस्पति को दर्शाता हरित क्षेत्र है जहां, रेन्डे ड्यूमाटोरियम, जिजिपस मांरिटियाना, बाउहिनिया रेसमोसा, केशिया फिस्ट्यूला, अकेशिया ल्यूकोप्ले और अनोना स्कामोसा जैसे पौधों की प्रजातियां है ;

और अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन में महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की चारों तरफ से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें तेलंगाना के रंगरेड्डी जिला के 13 ग्राम सम्मिलित है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध-1** पर उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-2** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना के अनुबंध का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उपरोक्त योजना राज्य सरकार में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी;

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(ix) सिंचाई,

(x) सार्वजनिक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों, पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विर्निदिष्ट हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में ज्यादा दक्षता और पारिस्थिकीय अनुकूलता के सुधार में कारक हो;

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास विनियमित करने जिससे स्थानीय समुदायों का जीवकोपार्जन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, सं. 16, सं. 22, सं. 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार हो जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक ईकाइयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी नए और विधमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप :		
9	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि पारिस्थितिक संवेदीजोन में 100 प्रतिशत आयात किया हुआ लकड़ी का सामान उपयोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग लगाए जा सकेंगे ।
10	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी अवास के नए वाणिज्यक होटल और रिसोट अनुज्ञात नहीं होंगे ।
11	संनिर्माण क्रियाकलाप	पारिस्थितिक संवेदी जोन भीतर किसी नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।

12.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	(क) भूमिगत केबलों को संवर्धन किया जाएगा ।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं अनुज्ञा होंगे ।
23.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वायु और यानिक प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	पोलिथीन बैगों का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित कार्यकलाप	
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
28.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
29.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	बायोगैस, सौर्य प्रकाश आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
33.	पारंपरिक मछली पालन	मशीनी नौकाओं के प्रयोग के बिना ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलक्टर, रंगा रेड्डी जिला	अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य
(घ)	प्रादेशिक अधिकारी, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(ङ)	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजना अधिकारी	सदस्य
(च)	जिला वन्यजीव रक्षक, रंगारेड्डी/प्रभाग वन अधिकारी (टी) रंगारेड्डी जिला	सदस्य

6. निर्देश शर्तें :-

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/15/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र

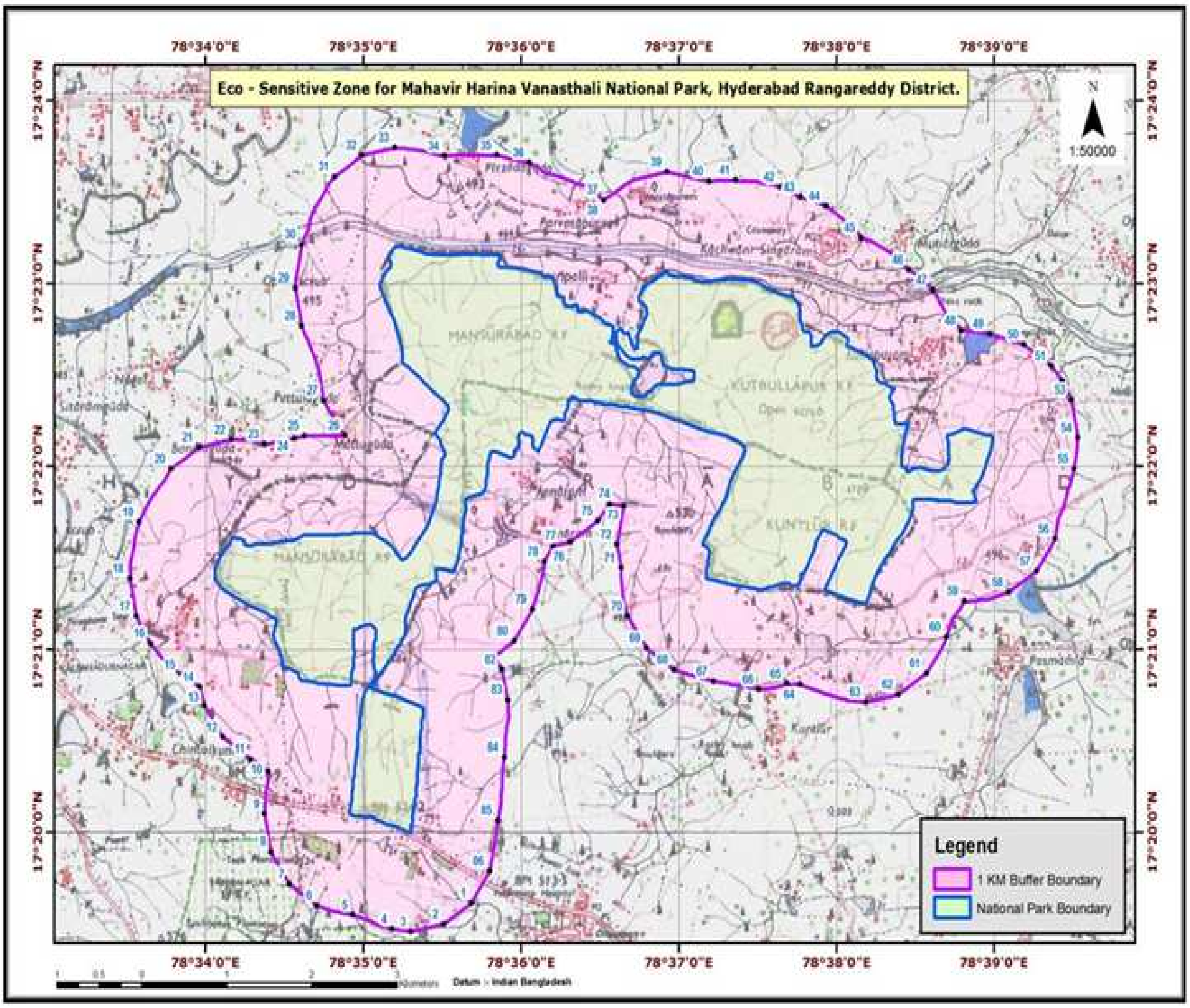

उपाबंध-II

महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, हैदराबाद के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन स्टेशनों की अवस्थिति

आईडी	देशांतर	अक्षांश
1	78.59473	17.32694
2	78.59182	17.32499
3	78.58837	17.32431
4	78.58635	17.32454
5	78.58219	17.32588
6	78.57843	17.32673
7	78.57551	17.32868
8	78.57356	17.33160
9	78.57288	17.33504
10	78.57328	17.33889

11	78.57142	17.34005
12	78.56850	17.34200
13	78.56655	17.34492
14	78.56602	17.34661
15	78.56408	17.34774
16	78.56084	17.35056
17	78.55934	17.35303
18	78.55865	17.35647
19	78.55966	17.36158
20	78.56303	17.36647
21	78.56595	17.36842
22	78.56939	17.36910
23	78.57289	17.36866
24	78.57601	17.36921
25	78.57711	17.36945
26	78.58141	17.36950
27	78.57916	17.37266
28	78.57681	17.37945
29	78.57613	17.38289
30	78.57681	17.38688
31	78.58031	17.39305
32	78.58323	17.39500
33	78.58667	17.39568
34	78.59191	17.39494
35	78.59745	17.39501
36	78.60089	17.39432
37	78.60872	17.39093
38	78.60872	17.39093
39	78.61544	17.39349
40	78.61987	17.39260
41	78.62270	17.39272
42	78.62740	17.39209
43	78.62951	17.39119
44	78.63220	17.39039
45	78.63592	17.38750
46	78.64098	17.38455
47	78.64352	17.38272
48	78.64651	17.37902
49	78.64951	17.37873
50	78.65312	17.37778

51	78.65604	17.37583
52	78.65716	17.37446
53	78.65812	17.37272
54	78.65880	17.36928
55	78.65844	17.36645
56	78.65641	17.36008
57	78.65446	17.35716
58	78.65154	17.35521
59	78.64682	17.35440
60	78.64495	17.35113
61	78.64281	17.34786
62	78.63989	17.34591
63	78.63645	17.34522
64	78.62948	17.34681
65	78.62808	17.34686
66	78.62516	17.34638
67	78.62033	17.34712
68	78.61615	17.34816
69	78.61323	17.35011
70	78.61128	17.35303
71	78.61057	17.35744
72	78.61014	17.35956
73	78.61087	17.36307
74	78.60933	17.36327
75	78.60812	17.36173
76	78.60520	17.35978
77	78.60340	17.35942
78	78.60245	17.35803
79	78.60119	17.35367
80	78.59924	17.35075
81	78.59716	17.34936
82	78.59794	17.34820
83	78.59860	17.34542
84	78.59823	17.34020
85	78.59753	17.33445
86	78.59668	17.32986

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश	मंडल का नाम
1	हयात नगर	78.60455	17.32532	हयात नगर
2	अन्नाराम	78.60229	17.36163	हयात नगर
3	कुंतलूर	78.62681	17.34249	हयात नगर
4	पसुमामूला	78.65093	17.35009	हयात नगर
5	कोथलापुरम (दतबुलापुरम)	78.64263	17.37724	हयात नगर
6	थिमाईगुडा	78.65467	17.37786	हयात नगर
7	कचवानी-सींगाराम	78.63174	17.38677	घाटकेसर
8	मसीदपुरम	78.61252	17.39150	हयात नगर
9	पर्वतपुर	78.60586	17.38994	घाटकेसर
10	पीरजादीगुड़ा	78.59436	17.39409	उप्पल
11	पत्तुल्लागुड़ा	78.58089	17.37166	उप्पल
12	बंदलागुड़ा	78.57008	17.36825	उप्पल
13	मरिपल्ली	78.60833	17.38390	हयात नगर

उपाबंध-III

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निंधारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों का पृथक उपबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण समाघात निंधारण के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश
8. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
10. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O.3229(E).-The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified

to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Mahavir Harina Vanasthali National Park is located in Ranga Reddy District of Telangana in a densely populated and residential cum commercial area in close vicinity to the city of Hyderabad and is spread over an area of 1459 hectare;

And whereas, the said National Park acts as a vast carbon sink for the rapidly developing city of Hyderabad and stands as the last vestige of the flora, fauna and unique rock formations representing the rich bio-diversity of Deccan Plateau which includes more than 600 plant species, 110 bird species, 20 Mammal species, 20 species of Reptiles and Amphibians, hundreds of species of insects and other invertebrates;

And whereas, the said National Park provides perfect habitat for Indian black buck, Four horned antelope, spotted deer, Indian porcupine, civet cat, common mongoose, Indian Pangolin, black napped hare, wild boar;

And whereas, the area supports vegetation which represents typical Deccan flora and has plant species such as *Randea deumatorium, Ziziphus mauritiana, Bauhinia racemosa, Cassia fistula, Acacia leucoploea, and Anona squamosa;*

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Mahavir Harina Vanasthali National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clauses (v) and (xiv) of sub–section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of upto one kilometer all around the boundary of Mahavir Harina Vanasthali National Park in the State of Telangana, as the Mahavir Harina Vanasthali National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent of up to 1 km. all around the boundary of the Mahavir Harina Vanasthali National Park and includes 13 villages in Rangareddy District of Telangana.

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure I;**

(2) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments for integrating environmental and ecological considerations into it, including the following State Departments, namely:—

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture,
(viii) State Pollution Control Board,
(ix) Irrigation,
(x) Public Works Department.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification; however, the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, including forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Telangana.

(c) the activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, from time to time, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** There shall be-

(i) no establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone, but shall not apply to existing legal wood based Industries;

(ii) no establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone; (b) the mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 % imported wood stock.
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
11	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.

14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted
33	Traditional Fishing	Without using mechanized boats

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Magistrate and Collector, Ranga Reddy District - Chairman

(b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case - Member

(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case – Member

(d) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member.

(e) Senior Town Planner of the area – Member.

(f) District Wildlife Warden, Rangareddy/Divisional Forest officer (T), Rangareddy District – Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/15/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:

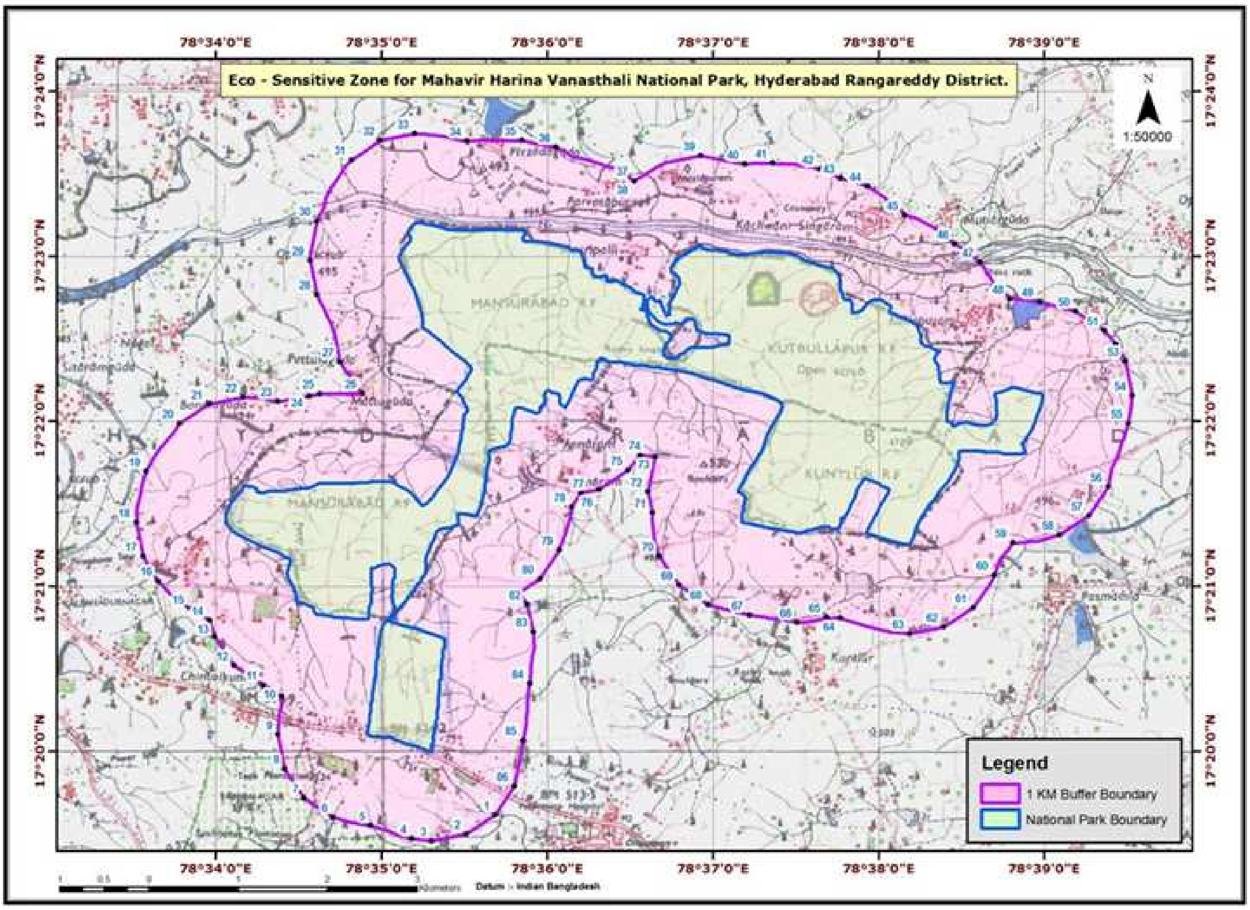

LOCATION OF STATIONS IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF MAHAVIR HARINA VANASTHALI NATIONAL PARK, HYDERABAD.

ID	Longitude	Latitude
1	78.59473	17.32694
2	78.59182	17.32499
3	78.58837	17.32431
4	78.58635	17.32454
5	78.58219	17.32588
6	78.57843	17.32673
7	78.57551	17.32868
8	78.57356	17.33160
9	78.57288	17.33504
10	78.57328	17.33889
11	78.57142	17.34005
12	78.56850	17.34200
13	78.56655	17.34492
14	78.56602	17.34661
15	78.56408	17.34774
16	78.56084	17.35056

17	78.55934	17.35303
18	78.55865	17.35647
19	78.55966	17.36158
20	78.56303	17.36647
21	78.56595	17.36842
22	78.56939	17.36910
23	78.57289	17.36866
24	78.57601	17.36921
25	78.57711	17.36945
26	78.58141	17.36950
27	78.57916	17.37266
28	78.57681	17.37945
29	78.57613	17.38289
30	78.57681	17.38688
31	78.58031	17.39305
32	78.58323	17.39500
33	78.58667	17.39568
34	78.59191	17.39494
35	78.59745	17.39501
36	78.60089	17.39432
37	78.60872	17.39093
38	78.60872	17.39093
39	78.61544	17.39349
40	78.61987	17.39260
41	78.62270	17.39272
42	78.62740	17.39209
43	78.62951	17.39119
44	78.63220	17.39039
45	78.63592	17.38750
46	78.64098	17.38455
47	78.64352	17.38272
48	78.64651	17.37902
49	78.64951	17.37873
50	78.65312	17.37778
51	78.65604	17.37583
52	78.65716	17.37446
53	78.65812	17.37272
54	78.65880	17.36928
55	78.65844	17.36645
56	78.65641	17.36008
57	78.65446	17.35716
58	78.65154	17.35521
59	78.64682	17.35440
60	78.64495	17.35113
61	78.64281	17.34786
62	78.63989	17.34591
63	78.63645	17.34522
64	78.62948	17.34681
65	78.62808	17.34686
66	78.62516	17.34638
67	78.62033	17.34712
68	78.61615	17.34816

69	78.61323	17.35011
70	78.61128	17.35303
71	78.61057	17.35744
72	78.61014	17.35956
73	78.61087	17.36307
74	78.60933	17.36327
75	78.60812	17.36173
76	78.60520	17.35978
77	78.60340	17.35942
78	78.60245	17.35803
79	78.60119	17.35367
80	78.59924	17.35075
81	78.59716	17.34936
82	78.59794	17.34820
83	78.59860	17.34542
84	78.59823	17.34020
85	78.59753	17.33445
86	78.59668	17.32986

Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Village Name	Longitude	Latitude	Name of the Mandal
1	Hayathnagar	78.60455	17.32532	Hayathnagar
2	Annaram	78.60229	17.36163	Hayathnagar
3	Kuntloor	78.62681	17.34249	Hayathnagar
4	Pasumamula	78.65093	17.35009	Hayathnagar
5	Kothlapuram (Dutbullapuram)	78.64263	17.37724	Hayathnagar
6	Thimmaiguda	78.65467	17.37786	Hayathnagar
7	Kachvani-singaram	78.63174	17.38677	Ghatkesar
8	Masidpuram	78.61252	17.39150	Hayathnagar
9	Parvathapur	78.60586	17.38994	Ghatkesar
10	Pirzadiguda	78.59436	17.39409	Uppal
11	Pattullaguda	78.58089	17.37166	Uppal
12	Bandlaguda	78.57008	17.36825	Uppal
13	Marripalli	78.60833	17.38390	Hayathnagar

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.